

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,  
Maha Nagar Door Sanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru  
Marg  
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002  
(Old Minto Road), New Delhi-110002



संख्या 2-चालक(2)/2004-प्र0 एवं का0

दिनांक: 16 नवम्बर, 2017

"ज्ञापन"

जबकि श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर को दिनांक 23.05.2017 से 09.06.2017 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। छुट्टी समाप्त होने पर श्री गिरी को अपना कार्यभार ग्रहण करना चाहिए था परंतु वे बिना किसी प्राधिकार/बिना छुट्टी अनुमोदित करवाए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं/ ड्यूटी पर नहीं आए।

2. इसलिए, श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर का ध्यान सरकारी सेवक के अप्राधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में लागू होने वाले संगत नियमों के विभिन्न उपबंधों तथा परिणामों की ओर आकर्षित किया जाता है :

(क) मूल नियम (एफआर) 17 (1) का परन्तुक

उक्त प्रावधान निर्धारित करता है कि बिना किसी प्राधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाला अधिकारी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान वेतन एवं भत्तों का हकदार नहीं होगा।

(ख) मूल नियम (एफआर 17 -क)

उक्त प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था भी है कि जहां कोई कर्मचारी अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है अथवा पद को त्याग देता है, तो ऐसी अनुपस्थिति को कर्मचारी की सेवा में व्यवधान अथवा ब्रेक करने वाला माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत छूट के प्रयोजनार्थ तथा विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता, जिसके लिए सेवा की न्यूनतम अवधि अपेक्षित होती है, के लिए अन्यथा निर्णय न लिया जाए।


अगले पृष्ठ पर जारी.....

(ग) सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 का नियम 25 :

उक्त प्रावधान ऐसी परिस्थिति से संबंधित है जहां कोई कर्मचारी देय एवं मान्य संस्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तथा सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे विस्तार का अनुमोदन नहीं किया होता है। इस प्रकार छुट्टी न बढ़ाए जाने के परिणाम निम्नलिखित होंगे:-

1. सरकारी कर्मचारी ऐसी अनुपस्थिति के लिए किसी अवकाश वेतन का हकदान नहीं होगा,
2. अनुपस्थित अवधि को उसके अवकाश खाता से अर्द्ध वेतन अवकाश के समय उसे देय सीमा तक धटाया जाएगा। ऐसे देय अवकाश से अधिक अवधि को असाधारण अवकाश माना जाएगा।
3. अवकाश समाप्त होने पर ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के लिए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

3. इसलिए, अब श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राईवर को एतद्वारा तुरंत प्रभाव अथवा तीन दिनों की अवधि के भीतर अपना कार्यभार पुनः संभालने का निदेश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 ने तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।



(एस0 एन0 तिवारी)

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( कार्मिक एवं प्रशासन)

श्री ओम प्रकाश गिरि,

चालक, भादूविप्रा

पता: बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी-14, टाईप-II, विवेक विहार,

दिल्ली-10095



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,  
Maha Nagar Door Sanchar Bhavan, Jawahar Lal Nehru Marg,  
(पुराना मिनटो रोड), नई दिल्ली-110002  
(Old Minto Road), New Delhi - 110002



No. 2-Driver (2)/2004- A&P (Part)

Dated: 16<sup>th</sup> November, 2017

"MEMORANDUM"

WHEREAS Shri Om Prakash Giri, Driver was granted Earned Leave from 23.05.2017 to 09.06.2017. On expiry of leave, Shri Giri was supposed to resume his duties, but he has absented himself/ remained away from duty without authorization /grant of leave.

2. Therefore, attention of Shri Om Prakash Giri, Driver is invited to the various provisions of the relevant rules and consequences which may visit if a Government servant is on unauthorised absence:

(a) *Proviso to FR 17(1)*

*The said provision stipulates that an officer who is absent from duty without any authority shall not be entitled to any pay and allowances during the period of such absence.*

(b) *FR 17-A*

*The said provision inter alia provides that where an individual employee remains absent unauthorisedly or deserts the post, the period of such absence shall be deemed to cause an interruption or break in service of the employee, unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of leave travel concession and eligibility for appearing in departmental examinations, for which a minimum period of service is required.*

(c) *Rule 25 of the CCS Leave Rules 1972*

*The said provision addresses the situation where an employee overstays beyond the sanctioned leave of the kind due and admissible, and the competent authority has not approved such extension. The consequences that flow from such refusal of extension of leave include that:*

- (i) *the Government servant shall not be entitled to any leave salary for such absence;*
- (ii) *the period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave*
- (iii) *wilful absence from duty after the expiry of leave renders a Government servant liable to disciplinary action.*


अगले पृष्ठ पर जारी.....

No. 2-Driver (2)/2004- A&P (Part)

Dated: 16<sup>th</sup> November, 2017

-2-

3. NOW THEREFORE, Shri Om Prakash Giri, Driver is hereby directed to rejoin his duty immediately or within 3 days, failing which he would be liable for disciplinary action under CCS (CCA) Rules, 1965.



(S.N. TIWARY)

Sr. Research Officer (A&P)

Tel. No. 011-23664213

Shri Om Prakash Giri,  
Driver in TRAI cadre,  
R/o: BSNL Staff Quarter No. B-14, Type-II,  
Vivek Vihar, Delhi-110095